

**फर्दे अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत ..... 344005/1 दीवारी सिकराय (दीवारी)  
 कमला प्रसाद वर्मा  
 सरकार बनाम विजय सिंह वर्मा  
 कसम नुकदमा ... 251(क) RTA मु० नं० 54/19

क्र. नुक्रम	नुक्रम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस नुक्रम की तामील में जारी हुए
2. 20	<p>पञ्जाबी निर्णय हेतु पेश हुई। वहीगण के पार्थिव-पञ्जा के तथ्यों, अधाधीगण 142 के जवाबदावा व सहमति है 8.12.20 तथा स्टेट रिपोर्ट विद्युवार का अवलोकन किया गया।</p> <p>अधीगण ग्राम मरियादा की ख.नं. 326 (1.0125 हे.) की खालेदारी भूमि में आवागमन हेतु अधाधीगण की ख.नं. 333 की समुस्त खालेदारी भूमि की उत्तरी मेड से होत हुए अधाधीगण की खालेदारी तक पहुँच रहे चालू रास्ते की राजस्व रिक्विट में अमल दरामद का अनुलोप चाला है। अधाधीगण द्वारा अज्ञात में विरोध किया गया लेकिन है. 8.12.20 की विना परिफल के रस्ता स्वीकृति की लिखित सहमति पदान की है।</p> <p>326 पड़ो के मध्य है. 8.9.17 के हुये पारिवारिक समझौते में भी इसका उल्लेख है।</p> <p>तहसीलदार रिपोर्ट में भी ख.नं. 334 की डामर सडक है अधाधीगण की ख.नं. 326 की भूमि का जोड़ने हेतु ख.नं. 333 की उत्तरी मेड से ही वैकल्पिक मार्ग पस्तावित किया है।</p> <p>अतः अधाधीगण के खाता सं. 109 ग्राम मरियादा के ख.नं. 333 की उत्तरी मेड 142 पर 10 फीट चौड़ा रास्ता ख.नं. 334 की सीमा से अधाधीगण की खालेदारी में पहुँच तक विना परिफल के (अधाधीगण की लिखित सहमति व पारिवारिक समझौते) स्वीकृत किया जाता है। उपतहसीलदार सिकराय की आदेशित किया जाता है कि के रास्ते में आने वाली कुल भूमि के ईंट का आकलन करते हुये रास्ते का अलग से अंकन करें तथा रास्ते की भूमि का अधाधीगण की समुस्त खालेदारी भूमि में ही आनुपातिक रूप से कम करते हुये राजस्व रिक्विट में अमल दरामद करें।</p> <p>निर्णय आज है. 11.12.20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

*(Handwritten Signature)*  
 11.12.20